

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिये लकि अधिकारी कयि नामति

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2023 को हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन हेतु वभिन्न अधिकारियों को लकि अधिकारी के रूप में नामति कयि है। इस संबंध में मुख्य सचवि संजीव कौशल द्वारा पत्र जारी कयि गया है।

प्रमुख बदि

- मुख्य सचवि संजीव कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन लकि अधिकारियों में हरियाणा राज्य परदूषण नयितरण बोर्ड के सदस्य सचवि का प्रथम लकि अधिकारी हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास नगिम लमिटेड का प्रबंध नदिशक होगा और हरियाणा बीज विकास नगिम के प्रबंध नदिशक द्वितीय लकि अधिकारी होंगे।
- इसी प्रकार, हरियाणा कौशल विकास मशिन के मशिन नदिशक का प्रथम लकि अधिकारी कौशल विकास एवं औद्योगिकि प्रशक्तिषण वभिग के नदिशक होंगे।
- हरियाणा कौशल रोजगार नगिम लमिटेड, पंचकूला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लकि अधिकारी हरियाणा परिवार पहचान अथॉरटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
- प्रबंध नदिशक, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टकिलचर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर का प्रथम लकि अधिकारी हरियाणा मनिरल्स लमिटेड, नई दल्लि का प्रबंध नदिशक होगा।
- हरियाणा परिवार पहचान अथॉरटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लकि अधिकारी हरियाणा कौशल रोजगार नगिम लमिटेड, पंचकूला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। हरियाणा मनिरल्स लमिटेड, नई दल्लि के प्रबंध नदिशक का प्रथम लकि अधिकारी प्रबंध नदिशक, हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टकिलचर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, गनौर होगा।
- मुख्य सचवि ने बताया कि आईएएस, एचसीएस अधिकारियों की अनुपस्थिति में वभिगों, बोर्डों, नगिमों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चति करने के लयि उनके अवकाश, प्रशक्तिषण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर होने या स्थानांतरण, सेवानवृत्तता के कारण रक्ति या कसिी अन्य कारण से 2 दनिों से अधिक के लयि बाहर रहने की स्थिति में संबंधति लकि अधिकारियों द्वारा कार्य देखा जाएगा। प्रत्येक अधिकारी छुट्टी, प्रशक्तिषण, दौरे, चुनाव ड्यूटी पर जाने से पूर्व लकि अधिकारी को सूचति करेगा।